केन्द्रीय विद्यालय संगठन

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)**
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**
**शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान**
**An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India**
18 संस्थागत क्षेत्र / 18 Institutional Area,
**शहीदजीत सिंह मार्ग** /Shaheed jeet Singh Marg
**नई दिल्ली** /New Delhi – 110016 **दूरभाष** /Telephone: 011-26858570
**वेबसाईट**/*Website: www.kvsangathan.nic.in*
ई-मेल/E-mail: pensionkvshq@gmail.com

फ.110230(e-Pen)/3/2022/केविएस(मु०)/पेंशन 18857 दिनांक: 23.11.2026

उपायुक्त/निदेशक
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जीट
केंद्रीय विद्यालय संगठन

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पेंशनभोगियों को ग्रेच्युटी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

यह संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ (ग्रेच्युटी) का भुगतान, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा समय पर जारी किए जाने के बावजूद, संबंधित पेंशनभोगियों तक उचित समयावधि में भुगतान नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण संबंधित केंद्रीय विद्यालय संगठन की इकाइयों के स्तर पर होने वाली देरी है। इस प्रकार की देरी के कारण केविएस के पेंशनभोगियों को अनावश्यक कठिनाइयों एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) से ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होने के पश्चात, नियमानुसार आवश्यक समायोजन/कटौतियाँ (जहाँ भी लागू हों) करने के बाद, उक्त राशि संबंधित पेंशनभोगी को **3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर** अनिवार्य रूप से वितरित कर दी जाए।

कृपया इसे संज्ञान में लेते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(संजय कुमार)
उपायुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
3. सहायक आयुक्त (शैक्षणिक/आईटी प्रकोष्ठ)/केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली – इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश को केवीएस की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त (वित्त)